

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग—13(न्याय),
संख्या—7८७५/आर०सी०—13(न्याय)
लखनऊ: दिनांक १०९— 2016

विज्ञप्ति

“उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006” यथासंशोधित की धारा 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए माराजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006” यथासंशोधित के अंतर्गत सृजित होने वाले वादों की सुनवाई के कार्य का वितरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित के प्रवृत्त होने की तिथि से निम्नलिखित रूप में करते हैं—

- क— उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित में समेकित भू—राजस्व अधिनियम 1901 की संगत धाराओं से आच्छादित विषयों के अंतर्गत सृजित होने वाले वादों की सुनवाई राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित न्यायालयों में तथा जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संगत धाराओं से आच्छादित विषयों के अंतर्गत सृजित होने वाले वादों की सुनवाई राजस्व परिषद, इलाहाबाद स्थित न्यायालयों में होगी।
- ख—राजस्व परिषद उ०प्र०, लखनऊ स्थित न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित की निम्नलिखित धाराओं से आच्छादित विषयों के अंतर्गत सृजित वादों की सुनवाई होगी—

क्र.सं.	राजस्व संहिता 2006 की धारा	विषय
1	धारा—24	सीमा सम्बन्धी विवाद
2	धारा—30	मानविक्रि और खसरा का अनुरक्षण
3	धारा—32	अभिलेखों को ठीक करना
4	धारा—33	उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण
5	धारा—34	अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य
6	धारा—35	अन्तरण के मामलों में नामान्तरण
7	धारा—38	गलती एवं लोप का सुधार
8	धारा—47	सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण
9	धारा—48	सीमा चिन्हों के निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति

मिल

क्र.सं.	राजस्व संहिता 2006 की धारा	विषय
10	धारा-49	मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया
11	धारा-193	अनियमितता के लिए विक्रय को अपास्त करने का आवेदन
12	धारा-195	कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना

ग— राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद स्थित न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत सृजित वादों की सुनवाई होगी—

क्र.सं.	राजस्व संहिता 2006 की धारा	विषय
1	धारा-25	मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार
2	धारा-26	अवरोध का हटाया जाना
3	धारा-27	उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति
4	धारा-56	वृक्षों पर अधिकार
5	धारा-57	फलदार वृक्ष
6	धारा-58	विवाद जिसका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जायेगा
7	धारा-61	ग्राम तालाबों का प्रबन्धन
8	धारा-63	ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है
9	धारा-64	आबादी स्थलों का आवंटन
10	धारा-66	आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच
11	धारा-67	ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति
12	धारा-67 क	कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त
13	धारा-77	कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे
14	धारा-80	औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग
15	धारा-82	घोषणा का रद्द किया जाना
16	धारा-85	इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम
17	धारा-93	धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अंतरण विक्रय माना जाएगा

क्र.सं.	राजस्व संहिता 2006 की धारा	विषय
18	धारा 96	निःशक्ति सह—अंशधारी द्वारा पट्टा करना
19	धारा—98	अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध
20	धारा—101	विनिमय
21	धारा—103	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित के उल्लंघन में पट्टे का प्रभाव
22	धारा—104	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित के उल्लंघन में अंतरण शून्य होगा
23	धारा—105	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम
24	धारा—116	जोत के विभाजन के लिए वाद
25	धारा—122	भूमिधर द्वारा परित्याग
26	धारा—128	आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना
27	धारा—131	किसी असामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिए वाद
28	धारा—134	बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली
29	धारा—136	ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली
30	धारा—137	गलत बेदखली के लिए उपचार
31	धारा—144	खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद
32	धारा—145	ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद
33	धारा—149	सरकारी पट्टेदार की बेदखली
34	धारा—151	सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार

घ— उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत सृजित कोई वाद, जो बिन्दु ख तथा ग पर उल्लिखित तालिकाओं की धाराओं से आच्छादित नहीं है, की सुनवाई का क्षेत्राधिकार 'बिन्दु' के उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप होगा।

आज्ञा से,
 (धीरज साहू),
 आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—मा०अध्यक्ष / मा०सदस्य(कर) / मा०सदस्य(भूमिव्यवस्था), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2—समस्त सदस्यगण (न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / इलाहाबाद।

3—प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध सहित वह कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के सूचना—पट्ट पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ चर्पा किया जाना सुनिश्चित करें।

मैं

- 5—समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध सहित वह कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के सूचना-पट्ट पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
- 6—समस्त प्रभारी अधिकारी,राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- 7—निबंधक,राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश,लखनऊ / इलाहाबाद।
- 8—संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को इस अनुरोध सहित कि वह उक्त विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करे।
- 9—प्रमुख प्रणाली विश्लेषक,राजस्व परिषद,उ०प्र० को उक्त विज्ञप्ति को परिषद वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 10—गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,
~~(धीरज साहू)~~,
आयुक्त एवं सचिव।

